

पत्रांक-05/बी02-16/2015 374

बिहार सरकार  
शिक्षा विभाग,

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,  
निदेशक, (जन शिक्षा)।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (स्थापना)  
संलग्न विवरणी अनुसार।

विषय :-  
महोदय,

पटना, दिनांक - 11/3/16  
वित्तीय वर्ष-2015-16 में गैर योजना अन्तर्गत स्थापना मद में अतिरिक्त आवंटन।

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष -04-प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष -200-अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष -0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय, विपत्र कोड-एन 2202042000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 में संलग्न विवरणी में अंकित राशि 11,67,000/- (ग्यारह लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र आपको अतिरिक्त आवंटित की जाती है।

2. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 295 दिनांक-24.03.2015 एवं 396 दिनांक-24.04.2015 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
3. प्राप्त आवंटन से विधिवत् रूप से नियुक्त एवं स्वीकृत बल के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों को ही भुगतान किया जाय।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

7. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यदि किसी प्रकार के बकाया वेतना का नियमतः भुगतान किया जाना आवश्यक हो तो उसका भुगतान आवंटित राशि से किया जा सकता है।
8. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
9. बिहार राजकोशीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।

विश्वासभाजन

(विनोदानन्द झा), 29/2/16

निदेशक, (जन शिक्षा)

ज्ञापांक - 374

पटना, दिनांक- 11/3/16

प्रतिलिपि :-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, (जन शिक्षा)/जिला पदाधिकारी/प्रमंडलीय आयुक्त/अवर सचिव -सह-बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-05/संबंधित सहायक प्रशाखा-05/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोदानन्द झा), 29/2/16

निदेशक, (जन शिक्षा)

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-04-प्रौढ शिक्षा, लघु शीर्ष-200-अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष-0001-जिला जन शिक्षा कार्यालय, विपत्र कोड-एन 2202042000001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में जिला जन शिक्षा कार्यालय के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी :-

क्र. सं.	जिला शिक्षा पदाधिकारी का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय	कुल योग	पत्रांक/दिनांक
	कुट संख्या	01 01	01 03	01 04	01 05	01 06		13 01		
1	मधेपुरा	150000	300000	11000	0	0	461000	0	461000	06/08.01.2016
2	सारण	100000	140000	0	0	0	240000	0	240000	11/20.01.2016
3	जमुई	10000	11000	0	0	0	21000	5000	26000	20/20.01.2016
4	पटना	150000	200000	0	78000	12000	440000	0	440000	556/03.02.2016
	कुल योग:-	410000	651000	11000	78000	12000	1162000	5000	1167000	

कुल (ग्यारह लाख सड़सठ हजार रुपये) मात्र।

  
(विनोदानन्द झा)  
निदेशक, (जन शिक्षा)  
SN